भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4215

20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दवाओं की कमी

4215. श्री ईश्वरस्वामी के.:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अनेक राज्यों में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के अनेक स्वास्थ्य केन्द्रों को दवाओं की भारी कमी का सामना करना पड़ा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या दवाओं के मौजूदा भंडार या तो समाप्त हो गए हैं या उनकी उपयोगिता अवधि बीत चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है कि स्वास्थ्य केन्द्रों में आपूर्ति की जाने वाली दवाएं नई और पर्याप्त हों?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (घ): निः शुल्क औषध सेवा पहल (एफडीएसआई) के तहत, भारत सरकार दवाओं की खरीद और खरीद की मजबूत प्रणालियों को सुदृढ़ करने, गुणवत्ता आश्वासन, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और भंडारण, नुस्खा संपरीक्षा, शिकायत निवारण, मानक उपचार दिशानिर्देशों के प्रसार और आवश्यक दवाओं की खरीद और उपलब्धता की वास्तविक स्थिति की निगरानी के लिए आईटी सक्षम मंच डीवीडीएमएस (ड्रग्स एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम) की स्थापना में सहायता प्रदान करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जन स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्रों पर सुविधाकेंद्र-वार आवश्यक दवा सूची (ईएमएल) उपलब्ध कराने की सिफारिश की है, जिसमें मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम और टीबी, एचआईवी/एड्स जैसी प्रमुख बीमारियों, मलेरिया, डेंगू और कालाजार जैसी वेक्टर जनित बीमारियों, कुष्ठ रोग आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार की निःशुल्क सेवाओं का प्रावधान शामिल है। ईएमएल में सुविधाकेंद्र-वार दवाओं की संख्या में उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 106 दवाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 172, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर 300, उप-जिला अस्पताल स्तर पर 318 और जिला अस्पताल स्तर पर 381 दवाएं शामिल हैं। हालांकि,

राज्यों को इस सूची में और अधिक दवाएं जोड़ने की छूट है।

दवाओं की समाप्ति तिथियों की निगरानी के लिए चेतावनी(अलर्ट) तंत्र में मजबूत ट्रैकिंग प्रणालियां शामिल हैं, जैसे बैच ट्रैकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम और बारकोड/आरएफआईडी तकनीक। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिला और स्थानीय स्तर पर समाप्ति तिथियों की निगरानी करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी मियाद समाप्त उत्पाद वितरित न हो। ऐसे मामलों में जहां उत्पाद अपनी समाप्ति तिथि के करीब पहुंच रहे हैं, उन्हें अक्सर उन क्षेत्रों में पुनर्वितरित किया जाता है जहां उन्हें समाप्ति से पहले इस्तेमाल किया जा सकता है।

एफडीएसआई के तहत खरीदी गई औषधियों की गुणवत्ता इस पहल के निम्नलिखित प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है:-

i. सभी दवाएं संदृढ़ प्रापण तंत्र के माध्यम से उत्तम विनिर्माण पद्धतियों (जीएमपी) के अनुपालक निर्माताओं से प्राप्त की जानी चाहिएं।
ii. स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों को वितरित करने से पहले प्रत्येक बैच का आपूर्ति पश्च परीक्षण।

*****